न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 4/17 निर्णय दिनांकः– 17-09-25
(जीसीएमएस संख्या 2017/00391)

1. रामचन्द्र पुत्र श्री पोकरराम जाति जाट निवासी चक 1 आरएम, लाखनसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गुलाम मुस्तफा पुत्र हाफिज सलीम जाति मुसलमान निवासी चक 1 आरएम, लाखनसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छतरगढ़।
3. कमलेश कुमार पुत्र सम्पतराम अग्रवाल निवासी 8 पीएसडीबी उपतहसील रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30–08–2016
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री प्रहलाद जाखड़ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के आदेश दिनांक 30–08–2016 जिसके द्वारा चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 110/63 की 20 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन विशेष आवंटन में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि यह कि अपीलांट ने दिनांक 28.12.2007 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ को चक 1 आर एम के मुरब्बा नंबर 110/63 की 20 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड जमीन को विशेष आवंटन में दिये जाने का प्रार्थना पत्र चाहे गये समस्त सबूतो के साथ पेश किया था। इसी चक 1 आर एम के मुरब्बा नंबर 110/64 में 14 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड जमीन पत्नी कमला के नाम से खरीदशुदा हैं जो कि इसी मुरब्बा नंबर 110/63 के चिपती हैं। इस चक 1 आर एम के मुरब्बा नंबर 110/63 की विशेष आवंटन जमीन को आवंटन किये जाने के लिये रेस्पोडेन्ट गुलाम मुस्तफा व रजिया उर्फ राजवी पत्नि मुनीर अहमद जो इसी चक 1 आर एम के निवासी हैं, ने भी प्रार्थना पत्र पेश किये थे लेकिन अपीलांट के प्रार्थना पत्र को दरकिनार करके गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 1 गुलाम मुस्तफा को यह जमीन विशेष आवंटन में आवंटित कर दी गई। व अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज ना करके अन्य वैकल्पिक रकबा आवंटन के पात्र रहेगे का लिखकर दिनांक 30.08.2016 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 गुलाम मुस्तफा को यह जमीन आवंटन कर दी गयी। अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से यह लिखकर ऐमेन्डेट एक्ट 1961 व 1996 के प्रावधान गुलाम मुस्तफा पर लागू नहीं होते हैं, का लिखकर इसकी पुलिस वेरीफिकेशन ही नहीं करायी जबकि नितान्त जरूरी हैं व्यक्ति सही हैं या गलत इसका कोई आपराधिक रिकार्ड तो नहीं हैं कहीं किसी संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न तो नहीं हैं। संबंधित थाना क्षेत्र से इस बाबत जांच होनी चाहिये थी। इसका निर्धारण तो पुलिस वेरीफिकेशन से ही हो सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो को गौर किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख 1 को नियमो के विपरीत आवंटन कर दी गयी। उक्त रकबा वास्तव में चक 1 आर एम लाखनसर का हैं जिसमें प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय नहीं मानती हैं। तब इस जमीन के लिये गुलाम मुस्तफा वा रजिया जिसे चक 1 आर एम दामोलाई का बताया जा रहा हैं, जिस कारण आवेदक एक से ज्यादा हो गये हैं तब विशेष आवंटन नियमो के अन्तर्गत तीनो के बीच में बोली लगानी चाहिये थी तब जिसकी बोली अन्तिम होती उसे जमीन विशेष आवंटन में दे देनी चाहिये थी लेकिन ऐसा यहां नहीं किया गया जिससे सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया हैं।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र बहस करते हुए कथन किया कि उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जैर अपी आदेश पारित करते समय अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना नही दी गई थी। अपीलांट दिनांक 26–12–2016 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने आवेदन की जानकारी प्राप्त करने गया तब उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपीलांट ने बिना देरी किये नकल के लिए आवेदन किया तथा तथा पैसो का इंतजाम करके दिनांक 29–12–2016 को बीकानेर आया तथा अपने वकील साहब को प्रकरण के बारे में बताया। तथा बिना देरी किये अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अभिभाषक अपीलांट आगे कथन करते हुए कहा कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 गुलाम मुस्तफा को यह जमीन दिनांक 30.08.2016 को आवंटित की गई थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आनन फानन में उक्त वादग्रस्त भूमि दिनांक 30.12.2016 को किसी अन्य व्यक्ति को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी। ऐसे व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने जो आवंटन किया हैं वह न्याय पूर्ण निर्णय ना होकर मिलीभगत में किया गया आवंटन हैं जिसे किसी भी रूप से न्यायपूर्ण तरीके से किया गया आवंटन नहीं माना जा सकता हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुलाम मुस्तफा के पक्ष में किया गया निर्णय दिनांक 30.08.2016 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

4. अभिभाषक रेस्पाडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने विशेष आवंटन में चक 1 आर एम के मुरबा नंबर 110/63 की 20 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड उपलब्ध होने पर अपने नाम से आवंटन करवाने हेतु वर्ष 2007 में आवेदन किया था तथा अन्य पांच लोगों ने भी आवंटन करने हेतु आवेदन कर रखा था परन्तु प्रथम वरीयता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की होने के कारण उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को दिनांक 30.08.2016 आवंटन कर दिया गया इस रकबे कि समस्त किश्ते रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जमा करवा दी गई थी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी प्राप्त हो गई, और राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम बतौर खातेदार टिनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सम्बंध नहीं है केवल मात्र.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट सं. 1 को तंग व परेशान करने कि नियत से यह अपील प्रस्तुत कि गई है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किय कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 आवंटन नियम 7 के तहत उसकी प्रथम वरीयता बनती है रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जहां भूमि आवंटन की गई है। वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गॉव में ही स्थित है। इसलिए उसकी प्रथम वरीयता बनती है जबकि अपीलांट अन्य ग्राम पंचायत लाखनसर का निवासी है उसकी वरीयता द्वितीय बनती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार जांच करके वरीयता कायम करके प्रथम वरीयता के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को विधिवत आवंटन किया गया है।

अपीलांट को अपील करने कि कोई लोक्स स्टेण्ड डाई नहीं है क्योंकि अपीलांट ने अपने आवेदन खारिजी के खिलाफ कोई अपील ही नहीं कि है केवल रेस्पोडेन्ट सं. 1 के आवंटन के विरूद्ध एक ही अपील की है कानूनन दो अलग–अलग अपील करनी चाहिए थी जो नही की गई है एवं सभी हितबद्ध अन्य आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है अपीलांट का आवेदन पत्र भी अधूरा भरा हुआ है। इसलिए अपीलांट की यह अपील अनकम्पलिट होने के कारण इस आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है उसके विरूद्ध भी अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त रकबे में से कुछ भूमि बैय कर दी गई है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को वेलूवल अधिकार मिल चूके है। अपीलांट द्वारा अपनी बहस में थाना रिपोर्ट का अंकन किया गया है जबकि विशेष आवंटन के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि रेस्पोडेन्ट प्रतिबन्धित थाना क्षेत्र का मूल निवासी है इसलिए उक्त प्रावधान और ना ही वेरिफिकेशन कि कोई आवश्यकता नहीं है जिसका ज्ञान वकील अपीलांट को होते हुवे भी इस अपील में गलत तथ्य अंकित किये है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को किया गया आवंटन सहीं किया गया है क्योंकि प्रथम वरीयता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की बनती है क्योंकि वह उस चक का निवासी है आवंटन कि समस्त शर्ते पूर्ण की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच करके वरीयता सूची बनाकर समस्त दस्तावेज देखकर विधि सम्मत् रेस्पोडेन्ट सं. 1 को आवंटन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद के प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–08–2016 के विरूद्व अपील दिनांक 02–01–2017 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवेदन वाछित भूमि पर वरियता सूची में नही आनें के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–08–2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02–01–2017 को पेश की गई है। मियाद प्रार्थना पत्र पर अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन के वक्त सूचना पूर्व में ही कर दी जाएगी। परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन की चाराजोही करने गया तब अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 26–12–2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हुए आवंटन की जानकारी हुई। जिस अपीलांट द्वारा दिनांक 02–01–2017 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गइ है। अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। मियाद पर न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण में देरी अत्यधिक नही हुई है वहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष आवंटन में गजट में प्रकाशित रकबा तहसील छतरगढ़ के चक 1 आरएम मु.न. 110/63 रकबा 20.19 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन लिए गये थे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रकबा बाबत कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए। समान रकबे हेतु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरियता क्रम निर्धारण हेतु नियम 7(1) के तहत प्रावधान दिये गये है। नियम 7(1) के अनुसार :–

Priorities for allotment: {1} Priorities for allotment of Government land under these rules shall be in the following order :-

(a) Temporary cultivation lease holders;

(b) A landless person of the same village;

(c) A landless person of the same Colonisation Tehsil/Revenue Tehsil;

(d) A landless person of the same District or under the Antroydaya Scheme of the State government, or as a beneficiary of the Integrated Rural Development Programme, who has worked for two years as paid labourer of the State Government in the construction of the Indira Gandhi Canal or in the development works connected with its command area, after he is so identified;

(e) Agriculture Graduates, ex. servicemen, experator of Indira Gandhi Canal and Bhakra Landless persons for the areas for them:

(f) Landless persons of any other districts of Rajasthan.

नियम 13 ए(1) के अनुसार :–

Sale by Special Allotment :- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules such lands as may be notified in this behalf by the State Government in Official Gazette to be sold by special allotment may be allotted to the persons who are eligible for such allotment in the order of preference given in sub-rule (1) of rule 7 of these rules and where any such persons is not available, to any other persons who has been a bonafide agriculturist and a bona fide resident of Rajasthan in accordance with the priority as mentioned in sub-rule 1-A subject to the extent of the ceiling area applicable to the allottees under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act II of 1973), at a fixed

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

price, be notified by the State Government in the Official Gazette from time to time, for such notified lands.

उपर्युक्त प्रावधानो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विशेष आवंटन में समान रकबे हेतु भूमि आवंटन हेतु वरीयता क्रम निर्धारित करने का प्रावधान है। वरीयता क्रम के अनुसार यदि कोई आवेदक उपलब्ध न हो तो नियम 13 ए (1) के अनुसार अन्य श्रेणियों को आवंटन किया जाता है।

प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदनो का तुलनात्मक विवरण देते हुए वरीयता क्रम तय किया गया तदनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन भूमि का आवंटन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नियम 7(1) बी श्रेणी के तहत उसी गॉव का निवासी था जिस गॉव में आवेदित रकबा स्थित था। अंतः प्रथम प्राथमिकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तय की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त आवेदनो पर विस्तृत विवेचन करते हुए वरीयता क्रम निर्धारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

इस अपीलाधीन आवंटित रकबे की खातेदारी मिल चुकी है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा इस खातेदारी को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–08–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17-09-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर